भारतीय न्यायपालिका प्रणाली
INDIAN JUDICIARY SYSTEM

Supreme Court (सर्वोच्च/उच्चतम)	High Court (उच्च-न्यायालय)
Art. 124	Art. 214
Judges : 33 + 1 = 34 (Judges) (CJI)	N/A
Appointed by → President	President
Retire Age - 65 yr.	62 yr

Brief History of Supreme Court
(सुप्रीम कोर्ट का संक्षिप्त इतिहास)

- The promulgation of Regulating Act of 1773 established the Supreme Court of Judicature at Calcutta as a Court of Record, with full power & authority/ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ ज्यूडिकेचर की स्थापना एक कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड के रूप में हुई, जिसे पूरी शक्ति और अधिकार प्राप्त थे।
- It was established to hear and determine all complaints for any crimes and also to entertain, hear and determine any suits or actions in Bengal, Bihar and Orissa/ इसकी स्थापना किसी भी अपराध के लिए सभी शिकायतों को सुनने और तय करने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसी भी मुकदमे यां कार्रवाई पर विचार करने, सुनने और तय करने के लिए की गई थी।
- The Supreme Courts at Madras and Bombay were established by King George – III in 1800 and 1823 respectively. / मद्रास और बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किंग जॉर्ज III ने क्रमशः 1800 और 1823 में की थी।

- The India High Courts Act 1861 created High Courts for various provinces and abolished Supreme Courts at Calcutta, Madras and Bombay and also the Sadar Adalats in Presidency towns./ इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 ने अलग-अलग प्रांतों के लिए हाई कोर्ट बनाए और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को खत्म कर दिया।
- These High Courts had the distinction of being the highest Courts for all cases till the creation of Federal Court of India under the Government of India Act 1935./ इन हाई कोर्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फेडरल कोर्ट ऑफ़ इंडिया बनने तक सभी मामलों के लिए सबसे बड़ी कोर्ट होने का गौरव प्राप्त था।
- After India attained independence in 1947, the Constitution of India came into being on 26 January 1950. / 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- The Supreme Court of India also came into existence and its first sitting was held on 28 January 1950./ भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई।
- The law declared by the Supreme Court is binding on all Courts within the territory of India./ सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी कोर्ट पर बाध्यकारी है।

Delhi

Constitutional Provisions
(संवैधानिक प्रावधान)

The Indian constitution provides for a provision of Supreme Court under Part V (The Union) and Chapter 6 (The Union Judiciary)./ भारतीय संविधान भाग V (संघ) और अध्याय 6 (संघ न्यायपालिका) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान करता है।

Articles 124 to 147 in Part V of the Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court/ संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

Article 124(1) states that there shall be a Supreme Court of India constituting of a Chief Justice of India (CJI) / अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) होंगे।

30+1=31 +3=34

Organizational Structure of Supreme Court
(सुप्रीम कोर्ट की संगठनात्मक संरचना)

- Originally, the strength of the Supreme Court was fixed at eight / शुरू में, सुप्रीम कोर्ट की संख्या आठ तय की गई थी (1 + 7)
- At present, the Supreme Court consists of thirty-four judges / अभी, सुप्रीम कोर्ट में चौंतीस जज हैं (1 + 33)
- Supreme Court (Number of Judges) Bill of 2019 has added four judges to strength. It increased the judicial strength from 31 to 34, including the CJI./ 2019 के सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) बिल ने संख्या में चार जज और जोड़े हैं। इसने CJI सहित जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है।
- Seat of Supreme Court: / सुप्रीम कोर्ट की सीट:
  - The Constitution declares Delhi as the seat of the Supreme Court./ संविधान दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की सीट घोषित करता है।
  - It also authorizes the CJI to appoint other place or places as seat of the Supreme Court./ यह CJI को सुप्रीम कोर्ट की सीट के तौर पर दूसरी जगह या जगहों को नियुक्त करने का अधिकार भी देता है।
  - He can take decision in this regard only with the approval of the President/ वह इस संबंध में फैसला केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से ही ले सकते हैं।

Appointment of judges / न्यायाधीशों की नियुक्ति

- The judges of the Supreme Court are appointed by the President./ सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- The CJI is appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and high courts as he deems necessary./ CJI की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों से सलाह करने के बाद करते हैं, जिन्हें वे ज़रूरी समझते हैं।
- Appointment of Chief Justice From 1950 to 1973: The practice has been to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the chief justice of India. / चीफ जस्टिस की नियुक्ति 1950 से 1973 तक: यह चलन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाए।
- This established convention was violated in 1973 when A N Ray was appointed as the Chief Justice of India by superseding three senior judges./ इस बने हुए नियम को 1973 में तोड़ा गया जब ए एन रे को तीन सीनियर जजों को नज़रअंदाज़ करके भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।

Appointment of judges / न्यायाधीशों की नियुक्ति

- Again in 1977, M U Beg was appointed as the chief justice of India by superseding the then senior-most judge./ फिर 1977 में, एम यू बेग को उस समय के सबसे सीनियर जज को नज़रअंदाज़ करके भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।

- This discretion of the government was curtailed by the Supreme Court in the Second Judges Case (1993), in which the Supreme Court ruled that the senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India./ सरकार के इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जजों के मामले (1993) में कम कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को ही भारत के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

Collegium System / कॉलेजियम प्रणाली

- Collegium system was born through "three judges case" and it is in practice since 1998. / कॉलेजियम सिस्टम "तीन जजों के केस" से शुरू हुआ था और यह 1998 से प्रैक्टिस में है।
- It is used for appointments and transfers of judges in High courts and Supreme Courts./ इसका इस्तेमाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए किया जाता है।
- There is no mention of the Collegium either in the original Constitution of India or in successive amendments/ भारत के मूल संविधान या बाद के किसी भी संशोधन में कॉलेजियम का कोई ज़िक्र नहीं है।
- The SC collegium is headed by the CJI (Chief Justice of India) and comprises four other senior most judges of the court/ SC कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI (चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया) करते हैं और इसमें कोर्ट के चार अन्य सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं।
- A HC collegium is led by its Chief Justice and four other senior most judges of that court / एक HC कालेजियम का नेतृत्व उसके चीफ जस्टिस और उस कोर्ट के चार अन्य सबसे सीनियर जज करते हैं।

Art. 50

Through the 99th Constitutional Amendment Act, 2014 the National Judicial Commission Act (NJAC) was established to replace the collegium system for the appointment of judges

99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014 के ज़रिए जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम (NJAC) की स्थापना की गई थी।

However, the Supreme Court upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional on the grounds that the involvement of Political Executive in judicial appointment was against the "Principles of Basic Structure". I.e. the "Independence of Judiciary".

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को सही ठहराया और NJAC को इस आधार पर गैर-संवैधानिक करार दिया कि जजों की नियुक्ति में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का शामिल होना "बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांतों" के खिलाफ है। यानी "न्यायपालिका की आज़ादी" के खिलाफ है।

QUALIFICATION FOR APPOINTMENT OF JUDGE

34

A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications:/ सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में ये योग्यताएं होनी चाहिए:

- He should be a citizen of India./ वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- He should have been a judge of a High Court (or high courts in succession) for five years; or/ वह पांच साल तक किसी हाई कोर्ट (या लगातार हाई कोर्ट्स) का जज रहा हो; या
- He should have been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years; or/ वह दस साल तक किसी हाई कोर्ट (या लगातार हाई कोर्ट्स) में वकील रहा हो; या
- He should be a distinguished jurist in the opinion of the president./ वह राष्ट्रपति की राय में एक जाने-माने कानून का जानकार होना चाहिए।

The Constitution **has not prescribed a minimum age** for appointment as a judge of the Supreme Court/ संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं की गई है।

OATH AND AFFIRMATION OF JUDGES

The judges have to take oath before the President or any person appointed by the President for this./ जजों को प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है।

In his oath, a judge of the Supreme Court swears:/ अपनी शपथ में, सुप्रीम कोर्ट का जज कसम खाता है:

- to bear true faith and allegiance to the Constitution of India;/ कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा;
- to uphold the sovereignty and integrity of India; / कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा;
- to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgement to perform the duties of the Office without fear or favour, affection or ill-will; and/ कि वह बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के, अपनी पूरी क्षमता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करेगा; और
- to uphold the Constitution and the laws/ कि वह संविधान और कानूनों को बनाए रखेगा।

TENURE OF JUDGES

The Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court. However, it makes the following three provisions in this regard:/ संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालांकि, इस संबंध में इसमें ये तीन प्रावधान हैं:

1. He holds office until he attains the age of 65 years/ वह 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं।
2. He can resign his office by writing to the President./ वह राष्ट्रपति को लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
3. He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament/ उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।

REMOVAL OF JUDGES

- A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the President./ सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जा सकता है।
- The President can issue the removal order only after an address by Parliament has been presented to him in the same session for such removal./ राष्ट्रपति यह हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद द्वारा उसी सेशन में उन्हें ऐसा हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया हो।
- The address must be supported by a special majority of each House of Parliament (i.e. a majority of the total membership of that House and a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting)/ इस प्रस्ताव को संसद के हर सदन में विशेष बहुमत से समर्थन मिलना चाहिए (यानी उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत)।
- The Judges Enquiry Act (1968) regulates the procedure relating to the removal of a judge of the Supreme Court by the process of impeachment./ जज इन्क्वायरी एक्ट (1968) महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को रेगुलेट करता है।

The word ‘impeachment’ is not used in the constitution in relation to the removal of judges. However it is used only in the case of President.

जजों को हटाने के संबंध में संविधान में 'इम्पीचमेंट' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ राष्ट्रपति के मामले में किया जाता है।

No judge of the Supreme Court has been impeached so far. Impeachment motions of Justice V Ramaswami (1991–1993) and the Justice Dipak Misra (2017-18) were defeated in the Parliament

सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर अब तक महाभियोग नहीं चलाया गया है। जस्टिस वी. रामास्वामी (1991-1993) और जस्टिस दीपक मिश्रा (2017-18) के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव संसद में गिर गए थे।

SALARIES AND ALLOWANCES OF JUDGES

The salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of the Supreme Court are determined from time to time by the Parliament.

सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन समय-समय पर पार्लियामेंट द्वारा तय किए जाते हैं।

JURISDICTION AND POWER OF SUPREME COURT

- Original jurisdiction: As a Federal court, the Supreme Court decides disputes between different units of the Indian Federation/ एक फेडरल कोर्ट के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट इंडियन फेडरेशन की अलग-अलग यूनिट्स के बीच के विवादों का फैसला करता है
- the Centre and one or more states; or/ सेंटर और एक या ज़्यादा राज्यों के बीच; या
- the Centre and any state or states on one side and one or more states on the other; or/ एक तरफ सेंटर और कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या ज़्यादा राज्यों के बीच; या
- between two or more states/ दो या ज़्यादा राज्यों के बीच
- the Supreme Court has exclusive original jurisdiction./ सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है।

Exclusive means, no other court can decide such disputes and original means, the power to hear such disputes in the first instance, not by way of appeal.

एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई और कोर्ट ऐसे विवादों पर फैसला नहीं कर सकता और ओरिजिनल का मतलब है कि ऐसे विवादों को पहली बार सुनने की पावर, अपील के ज़रिए नहीं।

WRIT JURISDICTION

- The Supreme Court is empowered to issue writs, including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo-warranto and certiorari for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen./ सुप्रीम कोर्ट के पास किसी पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो-वारंटो और सर्टिओरारी सहित रिट जारी करने का अधिकार है।
- However, the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. The High Courts are also empowered to issue writs for the enforcement of the Fundamental Rights./ हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है। हाई कोर्ट्स को भी मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।
- The writ jurisdiction of High court is broader than the Supreme Court./ हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा है।

SUPREME COURT

- The Supreme Court of India is the highest judicial court and the final court of appeal under the Constitution of India/ भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के तहत सबसे बड़ा न्यायिक कोर्ट और अपील का आखिरी कोर्ट है।

- India is a federal State and has a single and unified judicial system with three tier structure, i.e. Supreme Court, High Courts and Subordinate Courts/ भारत एक फेडरल राज्य है और यहाँ एक सिंगल और यूनिफाइड न्यायिक सिस्टम है, जिसका स्ट्रक्चर तीन लेवल का है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट।

APPELLATE JURISDICTION

- The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgements of the lower courts./ सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से एक अपील कोर्ट है और निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है।
- It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under four heads/ इसके पास एक बड़ा अपीलीय अधिकार क्षेत्र है जिसे चार भागों में बांटा जा सकता है:
- Appeals in constitutional matters/ संवैधानिक मामलों में अपील
- Appeals in civil matters/ सिविल मामलों में अपील
- Appeals in criminal matters/ आपराधिक मामलों में अपील
- Appeals by special leave/ विशेष अनुमति द्वारा अपील

ADVISORY JURISDICTION

- The Constitution under Article 143 authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court in the two categories of matters:/ संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दो तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार है:
  - On any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise./ किसी भी कानून या तथ्य के सवाल पर जो सार्वजनिक महत्व का हो और जो सामने आया हो या जिसके सामने आने की संभावना हो।
  - On any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instruments./ संविधान बनने से पहले की किसी संधि, समझौते, करार, एग्रीमेंट, सनद या ऐसे ही दूसरे दस्तावेज़ों से जुड़े किसी भी विवाद पर।